

07/08/24 यथावत् प्रकृत/ पाठिका स्वयं
 धारित नहीं। नही पाठिका की ओर
 से कोई प्रतिनिधि उपस्थापित धारित
 पाठिका को न्यायालय समय सुमारे
 तक एक-एक कर उपस्थापित लायक, 1/1,
 किन्तु कोई धारित नहीं। पाठिका
 स्वयं धारित नहीं अनि से पाठिका
 की ओर से पालन सुधार अतीत
 धारा 212 अन्तर् 1977 के अन्तर् 1/1
 अन्तर् धारित से अन्तर् विपक्ष
 से यथावत् की जायत निर्दिष्ट
 अन्तर् की जायत कर उपस्थापित
 कार्यवाही उपस्थापित की जायत
 निम्न सुले न्यायालय से सुनवाई
 अन्तर् विपक्ष 1/1

(गोविन्द सिंह)
 सहायक कलेक्टर
 (पुनर्वास अधिकारी)
 रायसी
 07/08/2024

